



| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|---|---|
| 09.01.2023 | <p>पत्रावली वास्ते दीगर साक्ष्य वाकी आइंदा 09-01-2023 के पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण के वकील उपस्थित। वादीगण के वकील और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। अतः उनकी साक्ष्य बंद की जाती है।</p> <p>बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने ग्राम पादरू तहसील सिवाना के खसरा संख्या 112, 2458/115, 2459/115, 2486/878, 860, 885, 2455/109 व 2456/109 ने रिकार्ड अनुसार बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड अपने हिस्से की भूमि पृथक करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की इस्तदुआ चाही है, किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी खाता संख्या 471 प्रदर्श 1 एवं खाता संख्या 221 प्रदर्श 2 में बतौर खातेदार वादीगण की प्रविष्टि ही दर्ज नहीं है। इस प्रकार दस्तावेज के अभाव में वादी के हकों का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।</p> <p>लिहाजा साक्ष्याभाव में वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना</p> | |

